उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN :U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1180–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 16–10(2)पें0एवंआर0 / 01–टी0सी0–1 दिनांक : 13 दिसम्बर, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) /
मुख्य अभियन्ता (जानपद–वितरण / पारेषण),
मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा प्रशा0),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

अध्यक्ष,
विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0,
एस0एल0डी0सी0 परिसर,
विभुतिखण्ड, फेज–2, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय : <u>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993" संशोधन अधिनियम, 1999) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर अनुमन्य आरक्षण का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या : 8 / 2016 / 18 / 1 / 2008टी0सी0 / का–2 / 2016 दिनांक 16.08.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरिसन्दर्भित अधिनियम के प्राविधानों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

भवदीय,

(उमेश गुप्त)
<u>संयुक्त सचिव (अरा0)</u>

<u>संख्या :1180–पें0एवंआर0–28 / पाकालि0 / 16 तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

...2...

3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–। एवं स्तर–।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव (अरा0)

1681/HA-P-2/5

संख्या- 8/2016/18/1/2008टी.सी./का-2/2016

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: [illegible] अगस्त, 2016

विषय :- "उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993" संशोधन अधिनियम, 1999 के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर अनुमन्य आरक्षण का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/टी.सी.-1999 दिनांक 09 सितम्बर, 1999 के माध्यम से प्रेषित "उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999" अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरिसंदर्भित अधिनियम के माध्य से समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

19/8/16
(एस० एस० सिद्दीकी)
विशेष सचिव
ऊर्जा
उ० प्र० शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2016/ 18/1/2008टी.सी./का-2/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
5) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
6) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
7) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।